

# मूल वाद में डिग्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां  
ब इजलास श्री प्रवीण कुमार (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या-27/2017

पीला पिता सनु जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

.....वादी

बनाम

गोकल पिता देरान जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

.....प्रतिवादी

## वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी मिनजानिब मुदई श्री अनकयान धाकड अधिवक्ता वादी मुदायलह पेश होकर हुकम दिया है डिग्री जारी की जाती है कि :-

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम जौलास स्थित आराजी नं० 209 के दक्षिण पश्चिमी मेड पर प्रतिवादी गोकल धाकड को 1 बिस्वा भूमि से बेदखल किया जाकर (कब्जा हटवाया जाकर) भूमि वादी को सिपूई कि जावे। खर्चा अपना-अपना वहन करे।

बसव मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.01.2018 को जारी की गई।

03.1.18

(प्रवीण कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां



नीब Nil.....मुबलिंग ..... Nil .....बाबत् ..... Nil .....

खर्चा इतने मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस दी सालाना आज की तारीख से  
सालाना मुकदमे तक ..... Nil .....का अदा करे।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
स्टाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमीशनर			फीस कमीशनर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुनफरिक			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

03.01.18

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां  
भीलवाड़ा